परिशिष्ठ-02

म.प्र. की आईटीआई में छात्रवृत्ति की जानकारी

स.क्र.	छात्रवृति का नाम	विवरण	प्रवेश वर्ष 2026-27 में छात्रवृति राशि
01	पोस्ट मेट्रिक छात्रवृति (PMS)- शासकीय एवं निजी आईटीआई में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों हेतु	पिछड़ा वर्ग (non creamy layer) (OBC) प्रशिक्षणार्थियों= (प्रवेशित वर्ष का प्रशिक्षण शुल्क+ प्रवेशित वर्ष का परीक्षा शुल्क+2300/-) प्रति वर्ष यह छात्रवृति पिछडा वर्ग विभाग द्वारा सीधे प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में दी जाती है	छात्रवृति=(प्रशिक्षण शुल्क+ परीक्षा शुल्क + stipend) =(5340+500+2300)=8140/- प्रति वर्ष
		अनुसूचित जाति (SC) प्रशिक्षणार्थियों= (प्रवेशित वर्ष का प्रशिक्षण शुल्क + प्रवेशित वर्ष का परीक्षा शुल्क+ 2500/-) प्रति वर्ष यह छात्रवृति अनुसूचित जाति कार्य विभाग द्वारा सीधे प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में दी जाती है	छात्रवृति=(प्रशिक्षण शुल्क+ परीक्षा शुल्क + stipend)=(5340+500+2500)=8340/- प्रति वर्ष
		अनुसूचित जनजाति (ST) प्रशिक्षणार्थियों =(प्रवेशित वर्ष का प्रशिक्षण शुल्क + प्रवेशित वर्ष का परीक्षा शुल्क+3000/-) प्रति वर्ष यह छात्रवृति जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सीधे प्रशिक्षणार्थियों के बैंक खाते में दी जाती है	छात्रवृति=(प्रशिक्षण शुल्क+ परीक्षा शुल्क + stipend)=(5340+500+3000)=8840/- प्रति वर्ष
02	मेरिट छात्रवृति- शासकीय आईटीआई में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों हेतु	प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत संस्था स्तर पर मेरिट टेस्ट आयोजित करते हुए टेस्ट में पास हुए 4% प्रशिक्षणार्थियों (केवल शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों) को मेरिट छात्रवृति राशि रूपये 125/- प्रतिमाह की दर से प्रदाय की जाती है।	125/- प्रतिमाह की दर से प्रदाय की जाती है
03	दिव्यांग छात्रवृति- शासकीय एवं निजी आईटीआई में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों हेतु	इसके अंतर्गत प्रदेश की शासकीय एवं निजी औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित दिव्यांगों प्रशिक्षणार्थी(जिनकी दिव्यंगता 40% से अधिक हो) को इसका लाभ दिया जाता है। इस छात्रवृति हेतु बजट सामजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिया जाता है	मूक बधिर एवं दृष्टि बाधित हेतु छात्रवृति की न्यूनतम राशि लगभग= (maintenance allowance+disability allowance+book allowance)/- प्रति वर्ष=(5500+4000+1500)=11000/- प्रति वर्ष
			अन्य दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों हेतु छात्रवृति की न्यूनतम राशि लगभग= maintenance allowance+disability allowance+book allowance)/- प्रति वर्ष =(5500+2000+1500)=9000/-प्रति वर्ष
04	मुख्य मंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन/संबल) योजना(mmjky)- शासकीय आईटीआई में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों हेतु	म.प्र. के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की सन्तान (जिनके माता पिता का संबल कार्ड/भवन सहनिर्माण कर्मकार मंडल कार्ड है) को नि: शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के तहत केवल शासकीय आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों को इसका लाभ दिया जाता है। इस योजना में लाभार्थी को आईटीआई में प्रवेश लेने के उपरांत आईटीआई द्वारा प्रतिवर्ष प्रशिक्षण शुल्क वापस किया जाता है।	2026-27 के लिए प्रशिक्षण शुल्क वापस=5340/-प्रति वर्ष

****